# रेरा कार्यशाला से सीधी के अवैध प्लाटिंग में लगेगी रोक?

## रेरा कार्यशाला में भू-संपदा अधिनियम की उपयोगिता पर हुई विस्तृत चर्चा, रेरा से मजबूत हो रहे रियल एस्टेट सेक्टर से क्रेताओं का सुरक्षित होगा निवेश

नवभारत न्यूज

**सीधी 22 अप्रैल, रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के तत्वावधान में मानस भवन में आज आयोजित हुई जागरूकता कार्यशाला के बाद सीधी में बड़े पैमाने पर रेरा के मापदण्डों के विपरीत हो रही अवैध प्लाटिंग में अब रोंक लगेगी यह एक बड़ा सवाल है?**

यहां बताते चलें कि सीधी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रियल एस्टेट प्रमोटर बिना रेरा का पंजीयन कराये रेरा के नियमों के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराये बिना अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा आज सीधी में आयोजित कार्यशाला में रेरा के सचिव राजेश बहुगुणा ने कहा कि भू-संपदा अधिनियम प्रमोटर और क्रेता के बीच विश्वास कायम करने का प्रभावी माध्यम है, जिससे दोनों पक्षों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। उन्होंने बताया कि रेरा व्यवस्था लागू होने के बाद रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने की संस्कृति विकसित हुई है। अधिनियम के अंतर्गत परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य होने से प्रमोटरों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, वहीं क्रेताओं को भी सुरक्षित निवेश का भरोसा मिलता है। कार्यशाला के दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रेरा के प्रावधानों, पंजीयन प्रक्रिया, अधिकारों एवं दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि अधिनियम के तहत परियोजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां सार्वजनिक करना अनिवार्य है, जिससे खरीदार सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। साथ ही, विलंब की स्थिति में जवाबदेही तय करने और शिकायतों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि रेरा का दायरा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों एवं सहकारी समितियों तक विस्तारित है, जिससे व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। रेरा पोर्टल के माध्यम से पंजीयन, नवीनीकरण और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी रेरा की आवश्यकता और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर अपने विचार साझा किए तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए रेरा के प्रभावी क्रियान्वयन में सभी की सहभागिता पर बल दिया गया।

**विधानसभा में भी उठा रेरा के नियम के विरुद्ध अवैध प्लाटिंग का मुद्दा** - विधानसभा क्षेत्र सीधी की विधायक रीती पाठक ने विधानसभा में रेरा नियमों के विपरीत हो रही अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठा चुकी हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि अवैध प्लाटिंग की इस मनमानी के चलते शहर में अवैध कालोनी तेजी से विकसित हो रही है। ऐसी कालोनियों में अपनी जमा पूंजी लगाने वालों को न तो मापदंड के अनुसार न चौड़ी व्यवस्थित सड़कें मिलती और न ही गंदे जल निकासी के लिए नाली और विद्युत सुविधा नजदीक में मिलती। आने वाले समय में अवैध प्लाटिंग के चलते बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विभागीय मंत्री द्वारा कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया था।

### नवभारत ने प्रमुखता से उठाया था अवैध प्लाटिंग का मामला

नवभारत ने जिला मुख्यालय के समीप ग्रामीण क्षेत्रों में रेरा के नियमों की अनदेखी खुलेआम करते हुये प्लाटिंग कर भूखंड बेंचने का काला कारोबार निर्वाध रूप से जारी है का मामला प्रमुखता से उठाया था। जानकारी में सामने आया था कि इस कार्य में संबंधित हल्का पटवारियों की पूरी सहभागिता है। लम्बे समय से इसी वजह से हल्का पटवारी यहां जमे हुये हैं और उन पर स्थानांतरण के नियम भी बेअसर हैं। सीधी में विकसित हो रही अवैध कालोनियों के खिलाफ लम्बे समय से शिकायतें की जा रही हैं।

### इनकी रही विशेष उपस्थिति

मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा आज सीधी में आयोजित कार्यशाला अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा, उपाध्यक्ष दानबहादुर सिंह, पार्षद पूनम सोनी, गीता सिंह, विनोद मिश्रा, आनंद परियानी, बाबूलाल कुशवाहा, हल्के सोनी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट श्री विकास आनंद, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रिया पाठक, जिला पंजीयक अभिषेक सिंह सहित जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागीय अधिकारी एवं रियल एस्टेट से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

# अभियान मुस्कान के तहत नाबालिग बालक दिल्ली से दस्तयाब

नवभारत न्यूज

**सीधी 22 अप्रैल। पुलिस मुख्यालय द्वारा गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान मुस्कान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में जमोड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। पुलिस ने कायमी होने के मात्र 50 घंटे के भीतर दिल्ली से एक नाबालिग बालक को सुरक्षित दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है।**

पुलिस के अनुसार थाना जमोड़ी क्षेत्र से एक नाबालिग बालक के लापता होने की रिपोर्ट दिनांक 19 अप्रैल 2026 को दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान यह रोचक तथ्य सामने आया कि बालक क्रिकेट खेलने और देखने का अत्यधिक शौकीन है। इसी शौक और क्रिकेट के प्रति अपने जुनून के कारण वह परिजनों को बिना बताए दिल्ली चला गया था, ताकि वहां बड़े स्तर पर क्रिकेट देख और खेल सके।

थाना प्रभारी जमोड़ी उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित टीम ने दिल्ली पहुंचकर स्थानीय सूत्रों और तकनीकी इनपुट के आधार पर बालक को ढूंढ निकाला। कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत बालक को सुरक्षित वापस सीधी लाया गया है, जहां उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। बालक की इतनी जल्दी बरामदगी पर परिजनों ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। सीधी से दिल्ली तक के इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, सउनि आरडी साकेत, प्रधान आरक्षक राजपति एवं आरक्षक गोलू की विशेष एवं सक्रिय भूमिका रही।

# बाल विवाह रोकने को किए जा रहे प्रयास, बैठक हुई

नवभारत न्यूज

**सीधी 22 अप्रैल। अक्षय तृतीया में बाल विवाह रोकने हेतु संस्था कनपुरा कुटुंबकम संस्थान जोकि जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की पार्टनर संस्था है के द्वारा जिला सीधी में गांव-गांव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अक्षय तृतीया में अच्छी लगन होने की वजह से ज्यादा शादियां की जाती हैं.**

जिला सीधी में संस्था द्वारा गांव-गांव में प्रचार-प्रसार कर अक्षय तृतीया में बाल विवाह को रोके जाने हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। संस्था द्वारा सभी धर्म गुरुओं के साथ बातचीत की जा रही है। सभी धर्म गुरुओं से निवेदन किया जा रहा है कि बाल विवाह मुक्त सीधी बनाने में अपना योगदान दें। अगर बाल विवाह की जानकारी प्राप्त होती है तो उसकी सूचना तत्काल सरपंच, महिला बाल विकास विभाग या पुलिस डिपार्टमेंट को दें। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है की बाल विवाह में जो सम्मिलित होते हैं तो उन्हें 2 साल की सजा एवं 100000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस पूरे अभियान को संचालित करने में महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ प्रवेश मिश्रा का योगदान बराबर प्राप्त हो रहा है। संस्था की कोऑर्डिनेटर आंचल सिंह ने बताया कि हम अक्षय तृतीया पर गांव-गांव बाल विवाह रोकने पर नजर बनाए हुए हैं हमारे वालंटियर इस काम के लिए पूरी तत्परता से लगे हुए हैं।

### जन चौपाल में अनुपस्थित पर पटवारी के निलंबन के निर्देश

तहसील बहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने हल्का पटवारी समरदह अलका त्रिपाठी के निलंबन के निर्देश दिए हैं। जन चौपाल के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए उक्त लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन चौपाल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, ताकि आमजन की समस्याओं का समय-सीमा में प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

# डिवीजनल स्केटिंग प्रतियोगिता में गणेश स्कूल का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन

## गोल्ड सहित कई पदक किए अपने नाम

नवभारत न्यूज

**सीधी 22 अप्रैल। मध्य प्रदेश शासन के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में 19 अप्रैल को रीवा में आयोजित डिविजनल स्केटिंग प्रतियोगिता में एसजीएसएस रेसिडेंशियल स्कूल पडरा-सीधी के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया।**

प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्केटिंग एसोसिएशन रीवा द्वारा किया गया, जिसमें संभाग के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रतिभागियों को मेडल्स एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों से युवा प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है तथा वे भविष्य में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय के प्रवक्ता राजकपूर चितेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि गणेश स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न आयु वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के खेल प्रशिक्षक माखनलाल मिश्र के निर्देशन में छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में वेदांत मेडा, आयुष्मान सोनी, अथर्व द्विवेदी, रिषित पटेल एवं नायरा सेंगर ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं खुशी सिंह, सुयश गुप्ता, पियूष गुलवानी एवं अनंत कुमार सोनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा रूद्र अवधिया, लक्षिता मेडा, अथर्व प्रताप सिंह, आर्यन छत्तानी, अयान द्विवेदी, आरुष खरे, यशराज सिंह, विवान सिंह चौहान एवं आयुष पाण्डेय ने तृतीय स्थान प्राप्त कर ब्रोंज मेडल जीतकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्रार्थना सभा के दौरान प्राचार्य द्वारा विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एचएम माएमा सिमन्स, प्राइमरी कॉर्डिनेटर रेखा शर्मा, खेल प्रशिक्षक तरुणनाथ मिश्र, सूरज शुक्ल, सुभाष शुक्ल, विश्वास पाण्डेय एवं प्रियंका सिंह सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।

### इनका कहना है

प्राचार्य डॉ. महेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन एवं प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करती हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

# रात भर बिजली के अभाव में तड़पते रहे मोहल्लेवासी

## कलेक्टर के निर्देश पर साढ़े तीन बजे चालू हुई सप्लाई

नवभारत न्यूज

**सीधी 22 अप्रैल। बेलगाम हुए बिजली विभाग की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है, आए दिन मेंटिनेंस के नाम पर अघोषित बिजली कटौती कर इस भीषण गर्मी में लोगों को अकारण परेशान किया जा रहा है। जबकि जहां बिजली सप्लाई में तकनीकी खराबी आ जाती है, उसके सुधार में विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को इस भीषण गर्मी में बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है।**

जिसका जीता जागता उदाहरण मंगलवार की रात को देखने को मिला है।

उल्लेखनीय है कि शहर के उत्तर करौंदिया में रात करीब 10 बजे बिजली बंद हो गई, थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद इस लाइन से जुड़े उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के कंट्रोल रूम में फोन किया, जब उसके बाद भी कोई राहत नहीं मिली तो जेई शिव उजागर मिश्रा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन जेई द्वारा जब उपभोक्ताओं का फोन नहीं रिसीव किया गया तो एई मनोज कुमार कोगे को फोन किया गया लेकिन उन्होंने भी उपभोक्ताओं का फोन नहीं रिसीव किया, धीरे-धीरे रात बढ़ती जा रही थी, गर्मी से लोग बेहाल हो रहे थे, जब जेई एवं एई द्वारा फोन नहीं रिसीव किया गया तो एसी को फोन लगाया गया, लेकिन एसी ने अपना फोन बंद रखा था।

### आधी रात कलेक्टर से शिकायत

शहर के वार्ड नंबर 13 अंतर्गत अर्जुन नगर में मंगलवार रात करीब 10 बजे बिजली बंद होने से परेशान उपभोक्ताओं ने जब बिजली विभाग विभाग के जेई, एई एवं एसी से संपर्क नहीं हो सका तो आधी रात को करीब सवा 2 बजे कलेक्टर विकास मिश्रा को फोन कर शिकायत की गईए जिले के संवेदनशील कलेक्टर ने तत्काल डी को फोन कियाए तब कही जाकर अलसुबह 3 :20 पर बिजली चालू हो सकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ कलेक्टर ही करेंगे तो फिर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को किस बात की सैलरी मिल रही है। विभाग यह मनमानी बता रही है कि शहर में अगर यह स्थिति है तो गांवों में क्या हो रहा होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

# जंगल के राहगीरों के लिए ग्राम पंचायत ने खोला प्याऊ

नवभारत न्यूज

**सीधी 22 अप्रैल। जिले की कुसमी जनपद पंचायत के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र की ग्राम पंचायत रूंदा पहुंचने बाले एवं रूला से चलकर कुसमी आने-जाने वाले राहगीरो एवं ग्रामीणो के लिए प्याऊ जल की व्यवस्था पंचायत स्तर से सरपंच, सचिव एवं जीआरएस के सौजन्य से प्याऊ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।**

बताते चलें रूदा ग्राम पंचायत के सरपंच वंश बहादुर सिंह ने जानकारी देकर बताया की उनकी ग्राम पंचायत रूदा से आने जाने बाले ग्रामीणों के पास पैदल के सिवा कोई वाहन की व्यवस्था नही है। जंगली पहाडी क्षेत्र होने के कारण लोग चलते-चलते थक जाया करते हैं और पानी के लिये परेशान हो रहे थे। गांव के कुछ लोगों के पास ही टू व्हीलर वाहन है। इन दिनों शादी विवाह के कारण लोगों को कुसमी समान खरीददारी करने आना जाना पडता है गर्मी के कारण लोगों की परेशानियो को भांपते हुये सरपंच बंशवहादुर सचिव गुलाब सिंह एवं जीआरएस रजनीश द्विवेदी के द्वारा बकिया बांध के पास वन चौकी के पास प्याऊ शुद्ध जल की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई। जहां लोगों को पानी पीने की सुविधा मिलने लगी है। आने जाने वाले लोग वहां रूककर पानी पीकर पहाड़ चढ़ते हैं या फिर रूदा से वापस पहाड़ को उतारकर जब लोगों को प्यास लगती है तो उन्हें यह सुविधा प्याऊ की उपलब्ध करायी गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि सरपंच पहले से ही परोपकार के क्षेत्र में आगे थे इसलिए हम लोगों ने उन्हें सरपंच चुना था यही कारण है कि आज हम लोगों की हर समस्या पर खड़े रहते हैं और सचिव एवं जीआरएस का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है।

# गौण खनिज उत्खनन पट्टों पर स्टार रेटिंग लागू करने बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

**सीधी 22 अप्रैल। मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा के निर्देशन में गौण खनिज उत्खनन पट्टों पर स्टार रेटिंग प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई।**

बैठक की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विकास कुमार आनंद ने की, जबकि खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला उपस्थित रहे। बैठक में चुरहट उपखण्ड क्षेत्र के संचालित उत्खनन पट्टाधारक एवं उनके प्रतिनिधि तथा प्रभारी खनिज निरीक्षक देवेन्द्र महोबे शामिल हुए। इस दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्टार रेटिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि खनन कार्यों का मूल्यांकन चार प्रमुख बिंदुओं- सुनियोजित खनन (25 प्रतिशत), पर्यावरण संरक्षण (30 प्रतिशत), श्रमिकों का स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण (10 प्रतिशत) तथा खनन संचालन एवं खनिज मूल्य संवर्धन (35 प्रतिशत)- के आधार पर किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी श्री आनंद ने निर्देश दिए कि सभी पट्टाधारक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल पर समय-सीमा में अपलोड करें, जिसका सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा। साथ ही, सीएसआर के अंतर्गत खदान प्रभावित ग्रामों के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक के अंत में पट्टाधारकों ने शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए स्टार रेटिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने की सहमति व्यक्त की।

# कुसमी में थाना प्रभारी व परियोजना अधिकारी ने रोके आधा दर्जन बाल विवाह

नवभारत न्यूज

**सीधी 22 अप्रैल। जिले में जिला कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर एवं कुसमी एसडीएम शैलेंद्र द्विवेदी के मार्गदर्शन पर महिला बाल विकास की प्रभारी परियोजना अधिकारी मांन कुमारी पनाडिया एवं थाना प्रभारी कुसमी अरुणा द्विवेदी की सक्रियता से कुसमी की टीम ने आधा दर्जन बाल विवाह रोककर यह साबित कर दिया है कि अधिकारियों के रहते लाडली बच्चियों का बाल विवाह नहीं किया जा सकता है।**

लगातार छापामार कार्यवाही होने को लेकर बाल विवाह करने वाले लोगों पर हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले में प्रभारी परियोजना अधिकारी मांन कुमारी ने जानकारी देकर बताया कि खण्ड स्तरीय टीम गुप्त तरीके से क्षेत्र में काम कर रही है एवं सूत्रों और समाज सेवायों की के मदद से हमें समय से जानकारी प्राप्त हो जाती रही है और थाना प्रभारी कुसमी अरूणा द्विवेदी की सक्रियता एवं टीम की मदद से कुसमी ब्लाक अंतर्गत आधा दर्जन बाल विवाह होने पर रोक लगा देने मे कामयाबी हासिल हुयी है। जानकारी देकर बताया कि ग्राम पंचायत कोटमा में लाडली बच्ची की उम्र 15 वर्ष 29 दिन था जिसका विवाह अशोक प्रजापति पिता राममिलन प्रजापति निवासी दुधमनिया थाना सरई जिला सिंगरौली के साथ होना सुनिश्चित हुआ था, जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई थाना प्रभारी कुसमी अरुणा द्विवेदी एवं परियोजना अधिकारी कुसमी मांन कुमारी पनाडिया की टीम ग्राम कोटमा पहुंची और समाज सेविय की उपस्थिति में दोनों परिवार के परिजनो से बातचीत करके समझाइस दी गई और परिवार ने बाल विवाह नहीं करने का शपथ लिया एवं पड़ोसियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरे नियमों की विधिवत समझाइस दी गई इसके बाद उन्होंने बाल विवाह नहीं करने की बात कही तब जाकर कोटमा में बाल विवाह रोक दिया गया। ठीक इसी तरह ग्राम पंचायत गोतरा में 17 वर्ष 5 दिन की बालिका का विवाह माखनलाल साहू पिता राम खेलावन साहू निवासी अकला थाना मड़वास जिला सीधी से होना सुनिश्चित हुआ। जहां परिवार समझाइस परिजनों को देकर बाल विवाह रोक दिया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत शंकरपुर में 17 वर्ष 8 माह की कन्या का विवाह राजीव यादव पिता चंद्रभान यादव ग्राम सतनरा गांधीग्राम जिला सीधी के साथ होना सुनिश्चित हुआ था, जहां टीम ने पहुंचकर परिजनों को समझाइस दी दोनों परिजनों के मान जाने के बाद टीम वापस आई। इसी तरह से ग्राम पंचायत गोतरा में 17 वर्ष 4 माह की बालिका का विवाह राकेश गोस्वामी पिता त्रिवेणी नाथ गोस्वामी निवासी गोतरा के साथ होना सुनिश्चित हुआ था, वहां भी पहुंचकर टीम ने बाल विवाह रोक दिया। इसी तरह बताया कि ग्राम पंचायत रौहाल में 15 वर्षीय बालिका का विवाह छत्तीसगढ़ हो रहा था। समझाइस दी गई विवाह रोक दिया गया है एवं बजवई में भी 17 वर्ष माह 8 बालिका की शादी प्रदीप कुमार जायसवाल पिता दुर्गा प्रसाद जायसवाल ग्राम मनिकीहर में होना सुनिश्चित हुआ था। जहां पहुंचकर टीम ने बाल विवाह को रोक दिया है।

### परियोजना अधिकारी ने लोगों से की अपील

मामले पर परियोजना अधिकारी ने क्षेत्रीय लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपनी बच्चियों की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही करें यदि कोई जबरन तरीके से बाल विवाह करता है तो दोनों परिवारों के जिम्मेदार लोगों के प्रति कार्यवाही की जाएगी इसलिए शासन के नियमों को समझते हुए बालिका का विवाह करें। इसकी सम्पूर्ण जानकारी के लिये हर एक पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका है वहां से अपने बच्चों के उम्र की जानकारी एवं बाल विवाह के संबंध में आप जानकारी के बाद ही अपने बालिकाओं बच्चों की शादी करे बाल विवाह न करें अन्यथा कार्यवाही होगी। वहीं मामले पर थाना प्रभारी कुसमी अरुणा द्विवेदी ने बताया भारत में बाल विवाह करना या करवाना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसके अंतर्गत दोषी को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसलिए बाल विवाह करने से बचे।

CMYK